

खबर संक्षेप

जिले में ई-विकास प्रणाली के माध्यम से हो रहा है उर्वरकों का वितरण

हरिभूमि न्यूज सिवनी। उपसंचालक कृषि ने बताया कि जिले के किसानों को समय पर एवं सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान) प्रणाली लागू की जा चुकी है। इस प्रणाली के माध्यम से जिले में शत-प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ही उर्वरक प्राप्त करें। यदि किसी विक्रेता द्वारा ई-विकास प्रणाली के बाहर रासायनिक उर्वरकों का विक्रय किया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल अपने नजदीकी कृषि अधिकारी को दें।

सांसद फगगन सिंह कुलस्ते 17 एवं 18 जून को सिवनी प्रवास पर

हरिभूमि न्यूज सिवनी। लोकसभा सांसद एवं लोकसभा की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संबंधी समिति के सभापति श्री फगगन सिंह कुलस्ते 17 एवं 18 जून को सिवनी जिले के प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे विभिन्न विकास एवं जनकल्याण संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 17 जून (बुधवार) को श्री कुलस्ते मंडला जिले के नैनपुर से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे जनपद पंचायत केवलारी पहुंचेंगे। यहां आयोजित जनकल्याण शिविर में शामिल होने के पश्चात वे अग्राह्मन 3 बजे सिवनी पहुंचेंगे। सिवनी में वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन एवं विकास के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम उपरांत उनका रात्रि विश्राम सिवनी सर्किट हाउस में रहेगा। 18 जून (गुरुवार) को सांसद श्री कुलस्ते प्रातः 10:05 बजे सिवनी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में शामिल होंगे।

यूसीसी के संबंध में ऑनलाइन सुझाव देने की अपील

हरिभूमि न्यूज सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने जिले के नागरिकों से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में अपने सुझाव एवं विचार ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा यूसीसी के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव प्राप्त कर रही है।कलेक्टर श्रीमती मीना ने कहा कि नागरिक अपने सुझाव, विचार एवं सुझावात्मक टिप्पणियां राज्य शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर समान नागरिक संहिता का प्राप्पु तैयार किया जाएगा, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं एवं अपेक्षाओं को समाहित किया जा सके।उन्होंने जिले के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों तथा विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण विषय पर सक्रिय सहभागिता निभाते हुए अधिक से अधिक संख्या में अपने सुझाव दर्ज कराने का आग्रह किया है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 : दावा-आपति दर्ज कराने का अंतिम अवसर 15 जून तक

हरिभूमि न्यूज सिवनी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने अथवा विलोपन संबंधी दावा-आपतियां 15 जून 2026 को अपराह्न 3 बजे तक संबंधित दावा-आपति केंद्रों पर प्रस्तुत की जा सकती है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नेहा मीना ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची का अवलोकन कर लें तथा यदि नाम दर्ज कराने, किसी प्रविष्टि में संशोधन कराने अथवा अन्या क्रिसि त्रुटि के संबंध में दावा-आपति प्रस्तुत करना हो तो निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन अवश्य करें।

घर के बाहर बैठे लोगों पर चढ़ा तेज रफ्तार डंपर, दो की मौत, चालक फरार

कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत बादलपार चौकी के ग्राम सराहीरी में शुक्रवार शाम करीब 7:45 बजे एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर घर के बाहर बैठे ग्रामीणों पर चढ़ गया।

इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डंपर क्रमांक एमपी 50 एच 0833 सराहीरी से पिपरवानी की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और डंपर रवि वर्मा के घर में घुसते हुए वहां बैठे चार ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सुखमाल भलावी (45 वर्ष) पिता गणपत भलावी की



मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रंजीत सरयाम पिता गोपसिंह सरयाम ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दो अन्य घायल ग्रामीणों में संदीप पिता बलवान मर्सकोले उम्र लगभग 36 वर्ष, चन्द्रभान पिता हरिओम वर्मा उम्र लगभग 36

श्याम भक्तों की भव्य मोपेड रैली ने नगर में जगाई भक्ति की अलख



हरिभूमि न्यूज ►►सिवनी।

श्री श्याम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत श्री श्याम परिवार समिति द्वारा भव्य मोपेड रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ मठ मंदिर प्रांगण से विधिवत पूजा-अर्चना एवं बाबा श्याम के जयघोष के साथ हुआ। रैली में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपने वाहनों पर श्याम ध्वज एवं धार्मिक पताकाएं लगाकर नगर



के सदस्यों ने बड़-चढ़कर सहभागिता की। श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति भाव पूरे नगर में आकर्षण का केंद्र बना रहा। रैली का उद्देश्य श्री श्याम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का संदेश जन-जन तक पहुंचाना तथा अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन से जोड़ना रहा। नगर भ्रमण के उपरांत यह भव्य मोपेड रैली श्याम धाम स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन कर महोत्सव

की सफलता, क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। श्री श्याम परिवार समिति ने रैली को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी श्याम भक्तों, सामाजिक संगठनों एवं नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। भक्ति, उत्साह और श्रद्धा से परिपूर्ण यह रैली प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव की भय्यता का विशेष आकर्षण बनी तथा नगर में धार्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का संदेश देने में सफल रही।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय-नरेश मरावी

हरिभूमि न्यूज सिवनी। सुश्री मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस से राज्यसभा से उम्मीदवार का नामांकन फॉर्म नियम विरुद्ध निरस्त होने पर भाजपा का तानाशाह रवेद्ये की लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश मरावी द्वारा कहा गया कि म.प्र. कांग्रेस कमेटी द्वारा साफ छवि की गांधीवादी विचारधारा की अनुसूचित जाति की महिला का राज्यसभा का नामांकन फॉर्म षडयंत्र पूर्वक भाजपा द्वारा सरकारी संस्था का दुरुपयोग कर निरस्त किया गया। वही दूसरी ओर झारखंड के एनडीए उम्मीदवार परिमल नथवाणी जिनके नामांकन फॉर्म में कांग्रेस पार्टी ने अनेक खामिया होने पर आपति दर्ज की थी, रटिबर्ग ऑफिसर ने शुरूआत में नथवाणी का नामांकन होल्ड किया था, भाजपा के दबाव में नामांकन को निरस्त नहीं किया, वही दूसरी ओर मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त कर दिया गया। भाजपा के नियम में खोट उस समय से ही आ गई थी जब उनके पास तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए पर्याप्त वोट नहीं था उसके बाद भी उन्होंने महेश का नामांकन का फॉर्म जमा करया। उसके बाद कांग्रेस के अनेक विधायकों को करोड़ों रूपयों का प्रलोभन वोट डालने के लिए दिया गया। जब भी बात नहीं बनी तो उन्होंने आपति दर्ज कर रटिबर्ग ऑफिसर के माध्यम से



से इंकार कर दिया। दिल्ली में भी अ.मा.कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी.वेणुगोपाल, अधिवक्ता विवेक तबखा, अभिषेक मनुसिंदवी, प्रदेश के बडे नेता, विधायक महामहिम राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली गए, उनके द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिलने का समय नहीं दिया गया। फॉर्म निरस्त कि्य जाने को लेकर सुयोग को में याचिका लगाई गई, सुयोग कोर्ट ने भी सुनने से इंकार कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास एक ही रास्ता बचता है कि लोकतंत्र का चैथा स्तंभ के माध्यम से भाजपा द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या एवं संविधान विरोधी कार्यों को जगता तक पहुंचाया जाए। पत्रकार वार्ता में जेपीएस तिवारी, जिला कांग्रेस संगठन महासचिव हज़ी मो. हनीफ अंसारी, राजिक अकौल, शिवदीप डेहरिया सहित बड़ी संख्या में पत्रकार गण उपस्थित रहे।

हत्या व हत्या के प्रयास के जघन्य प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त वाहन जप्त

हरिभूमि न्यूज सिवनी। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 02/06/2026 की रात्रि को आरोपी जयदीप बघेल पिता मेरसिंह, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम नरेला द्वारा अपने दिवंगत छोटे भाई विजय बघेल की पत्नी शोभा बघेल एवं उसके दो मासूम बच्चों - काव्या बघेल, उम्र 08 वर्ष तथा रियांश के निहाल बघेल, उम्र 05 वर्ष को जान से मारने की नीयत से जहरीली कीटनाशक दवा पिलाने की घटना प्रकाश में आई।

शोभा बघेल के पति विजय बघेल की वर्ष 2023 में बीमारी से मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात जयदीप बघेल ने शोभा बघेल से अविध संबंध स्थापित हो गए थे। शोभा अपने दोनों बच्चों के साथ विगत 06 माह से अपने मायके ग्राम नरेला में रह रही थी। दिनांक 29/05/2026 को रात्रि लगभग 01:30 बजे जयदीप बघेल अपनी अल्टो कार क्रमांक एमपी-22- सीए-4767, से शोभा के घर पहुंचा और शोभा एवं उसके दोनों

बच्चों को अपने साथ ले गया। घर से बिना बताए चले जाने पर जयदीप के परिजनों ने थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई, जिस पर गुमशुदगी क्रमांक 81/26 कायम की गई। दिनांक 02/06/2026 को जयदीप थाना उपस्थित हुआ, उसके साथ शोभा एवं दोनों बच्चे भी थे। थाने से शोभा बच्चों को लेकर चली गई तथा जयदीप को दस्तयाबी के पश्चात रात्रि लगभग 09:00 बजे रुखस्त किया गया। थाने से जाने के बाद जयदीप बस स्टैंड गया और वहां से शोभा एवं उसके दोनों बच्चों को पुनः अपनी कार में बैठाकर छिंदवाड़ा चौक ले गया। वहां से एक दुकान से कीटनाशक दवा खरीदी और कार से अपने गांव नरेला स्थित माता मंदिर के पास ले गया। रात्रि लगभग 10:00 बजे कार में ही बैठकर कीटनाशक की शीशी खोलकर शोभा से कहा कि 'जब मैं नहीं जा सकता तो तू भी नहीं जा सकती' और शोभा एवं पुत्र रियांश को जहरीली दवा पिलाई तथा स्वयं भी दवा का

सेवन कर लिया। पुत्री काव्या को दवा पिलाने के दौरान वह कार से उतरकर भाग गई और परिजनों को मोबाइल पर सूचना दी। परिजनों द्वारा शोभा, रियांश एवं जयदीप को जिला अस्पताल सिवनी ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर रियांश एवं जयदीप को नागपुर रिफर किया गया, जहां इलाज के दौरान दिनांक 04/06/2026 को चांडक अस्पताल, नागपुर में रियांश की मृत्यु हो गई। शोभा बघेल का उपचार सिवनी में हुआ और दिनांक 08/06/2026 को उन्हें छुट्टी दी गई। संपूर्ण जांच पर जयदीप बघेल द्वारा शोभा बघेल एवं उसके पुत्र रियांश की जान से खतम करने की नीयत से जहरीली कीटनाशक दवा पिलाना प्रमाणित हुआ, जिससे रियांश की मृत्यु हुई तथा शोभा की मृत्यु भी उपचार न मिलने पर निश्चित थी। उक्त घटना पर थाना कोरवाली सिवनी में अपराध क्रमांक 513/2026, धारा 103(1), 109(1) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।

. गिरफ्तार आरोपी: जयदीप बघेल पिता मेरसिंह, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम नरेला, थाना कोतवाली, जिला सिवनी। आरोपी को दिनांक 10/06/2026 को गिरफ्तार कर मानीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्यावाही पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निदेशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी दीपक मिश्रा व एसडीओपी सिवनी श्री सचिन परते के मार्गदर्शन में की गई। सराहनीय भूमिका: निरीक्षक सतीश तिवारी, उपनिरीक्षक राजेश शर्मा, प्रधान आरक्षक चन्द्रप्रकाश अडगै, मंजोज पाल, नवीन तिवारी तथा आरक्षक सुधीर डहेरिया, मिथलेश उड्डेक, प्रतीक बघेल, सतीश इगनवी, लोकेश सरयाम, सिद्धार्थ दुबे, मंजूलता नागवैशी, ममता गजनिजे एवं आर. चालक गेजु डहेरिया की सराहनीय भूमिका रही।



महत्व को बताते हुए कार्यशाला के प्रशिक्षक डॉ शीतल गौतम , विकास खंड पशु चिकित्सा अधिकारी छपारा को उक्त कार्यशाला के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। उपस्थित पशुपालकों को प्रशिक्षक द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल पर कार्यशाला के दौरान ग्रा्गल प्ले स्टोर से गोरष एप अपलोड कराया गया तथा पशु पोषण एवं सायलेंज के महत्व को

व्यवहारिक तरीके से समझाया। कार्यशाला में डा. जे. पी. शिव, श्री नंदागौली संचालक आरसेटी सिवनी, श्रीमती पायल डहाटे प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र बंडोल, श्री प्रमोद रस्तांगी जिला परियोजना प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन सिवनी विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यशाला में डा. सक्षम चौपड़ा विकास खंड पशु चिकित्सा अधिकारी सिवनी, डॉ आर. एस.

महिला अपराधों की रोकथाम संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

हरिभूमि न्यूज सिवनी। महिला थाना सिवनी द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार आवासीय प्रशिक्षण संस्था - आरसेटी सेंटर सिवनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु महिला अपराधों की रोकथाम संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निदेशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री दीपक मिश्रा एवं नगर पुलिस अधीक्षक सचिन परते के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिका.ओं को अनुशासित जीवनशैली का महत्व, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की पहचान तथा उनसे बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। महिला थाना सिवनी द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, उनकी सुरक्षा, विधिक प्रावधानों एवं मदद हेतु उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर्स के संबंध में भी जागरूक किया गया। आरसेटी सेंटर में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु सिलाई, ब्यूटी पालर, टेली-कम्प्यूटर कोर्स, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल रिपेरिंग, सेलसमैन एवं अन्य स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं से आग्रह किया गया कि वे कठिन परिस्थितियों में संकोच न करें और महिला थाना एवं पुलिस की सहायता लें।

गोरखपुर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अधिकािका को हटाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे गोंडवाना पार्टी के सिवनी ब्लॉक अध्यक्ष

छपारा - विगत 10 जून को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लाक इकाई सिवनी द्वारा अपनी लंबित मांग छपारा विकास खंड के ग्राम गोरखपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पदस्थ अधिकािका श्रीमती अंजना शर्मा एवं डीपीसी महेश बघेल को हटाने को लेकर की जा रही अपनी मांग पर मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन को बाकायदा एक आवेदन पत्र जमा कर जवाबत करा दिया गया वहीं उक्त मामले में कोई कार्यावाही नहीं होने की दशा में दिन शुक्रवार 12 जून को ग्राम गोरखपुर के चौराहे स्थित विरसा लुंडा प्रतिमा प्रतिमा के समक्ष मंच पर अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है उक्त अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में देवी सिंह अरवे गोपा ब्लाक अध्यक्ष सिवनी के नेतृत्व में की जा रही है। **पूरा माध्यला यह है-** ग्राम गोरखपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पदस्थ अधिकािका श्रीमती अंजना शर्मा जो विगत 10 वर्षों से लगातार एक ही विद्यालय इसी में पदस्थ हैं और उन्हें वहां से हटाए जाने को लेकर विगत



कई वर्षों से जिला कलेक्टर जनसुनवाई, क्षेत्रीय विधायक, सिवनी विधायक सहित अन्य संबंधित कार्यालयों पर पदस्थ अधिकारियों को अनेकों बार आवेदन पत्र दिए गए जिनमें अधिकािका के विरुद्ध गंभीर आरोपों को लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग को लेकर मी की जाती रही जिस पर अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अब देखना यह होगा कि उक्त अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्यावाही होगी या नहीं।

सिवनी जिला हरिभूमि 9

नगर पालिका की कार्रवाई: तीन जर्जर भवनों को किया गया ध्वस्त



सिवनी। नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा शहर में विविहत जर्जर एवं खतरनाक भवनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आज तीन मकानों को डिस्मैटल (ध्वस्तीकरण) किया गया। यह कार्रवाई आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई। नगर पालिका द्वारा जिन भवनों को ध्वस्त किया गया, उनकी सूची इस प्रकार है कस्तूरबा वार्ड क्रमांक 20-राजेंद्र/धनश्याम श्रीवास का भवन कस्तूरबा वार्ड क्रमांक 20- ओमप्रकाश बघेल का भवन रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 19 - सुशीला/सेवकश्याम यादव का भवन नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार शहर में विविहत जर्जर भवनों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे भवनों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसलिए समय-समय पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) सिवनी ने नागरिकों से अपील की है कि वे वहां उनके आसपास कोई भवन जर्जर स्थिति में है तो इसकी जानकारी नगर पालिका को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

भारत का मूल नागरिक अपने मूल अधिकारों से पूर्णतः वंचित

हरिभूमि न्यूज सिवनी। जिले के अंतर्गत संवेदनशील विधानसभा केवलारी मुख्यालय के अंतिम सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत बेलगांव यहां पर एक ऐसे व्यक्ति से गत



दिवस मीडिया के बंधु रूबरू हुए। बेलगांव निवासी गुलाब सिंह ऊड्डेक उम्र 60 वर्ष इस व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके पास आज के आधुनिकता के दौर में अपनी पहचान बताने के लिए किसी भी प्रकार की दस्तावेज नहीं है, ना मतदाता परिचय पत्र, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं है, परिवार में यह और उनकी पत्नी और एक बेटा है, अपनी आबूबाबी बताते हुये, इनके बारे में गांव के सरपंच से जानकारी मिली कि इन्हें दूधदायका पेंशन में भी वंचित रहना पड़ता है, बी एल ओ का कार्य कर रहे हैं श्री भावरे से जब इस संदर्भ में चर्चा किये तो पता चला की पूर्ण कागज पत्थर न होने की वजह से परिचय पत्रिय पत्र नहीं बन सकता, इन्होंने बताया कि इसके पूर्व जिला मुख्यालय में जाकर आधार कार्ड सेंटर में भी इन्होंने संपर्क किया लेकिन आधार कार्ड भी नहीं बना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन्होंने तीसरी तक पढ़ाई भी की है, स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर जब उनके दस्तावेजों के लिए स्कूल से संपर्क किया गया तो जानकारी मिली कि पुराने दस्तावेज नहीं है, कुछ मिले भी तो उनको दीमक खा गई,अपनी बदहाली का शिकार गुलाब सिंह ऊड्डेक जो अपने पिता की दो संताने हैं, और

उनके पास नव -दस एकड़ खुद की निजी जमीन भी है,लेकिन एक ही पुत्र जो इनका पालन पोषण भी नहीं करता इनकी खेती किसी को ठेका में देकर खेती-बाड़ी का उपाजन करता है, गत दिवस बेलगांव ग्राम पंचायत में नेत्र शिविर के आयोजन में पहुंचे एक निजी चिकित्सालय की टीम के पास जब यह पंडित व्यक्ति अपनी आंखों का इलाज कराने गए तो वहां पर इसे आधार कार्ड मांगा गया जिसके आधार पर इन्होंने बोला कि मेरे पास कोई कागज पत्थर ही नहीं है, अतः इस प्रसे विज्ञापित के माध्यम से जिला मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों से शासन प्रशासन से निवेदन है,कि गुलाब सिंह ऊड्डेक की मदद करके उनकी मुख्य दस्तावेज शीघ्र बना दिया जाए जिस प्रकार से शासन की मिलने वाली मूलभूत

सुविधाओं से वंचित न रहे और अपना परिवार नियोजन कर सकें। इस संदर्भ में और प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलाब सिंह ऊड्डेक आजीविका पालन के लिए अपने गांव से कहीं दूसरे राज्य चले गए थे लंबा समय वहां बीत जाने के बाद जब गांव वापस लौटे तो इनका गांव की मरदाता सूची से नाम काट दिया गया और इनका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज कुछ भी नहीं बने आज यह बेलगांव पंचायत के अंतर्गत वोट डालने के अधिकार से भी वंचित है।

